लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड

बनाम

उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड

निर्णय दिनांक 12 नवम्बर, 2007

निर्णय सिविल अपील संख्या 2007 का 5159

(2006 के एसएलपी(सी)नंबर 4014 से उत्पन्न)

2007 के सीए नंबर 5160 के साथ

(2006 के एसएलपी(सी) नंबर 4015 से उत्पन्न)

डा॓० अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में चुनौती केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उनके समक्ष दायर मध्यस्थता अनुरोध का निपटारा करने वाले आदेश को दी गई हैं।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैंः-

अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने खरीद आदेश संख्या 3020/02-2701/016/1018 दिनांक 7.1.1995 के तहत एक अनुबंध किया। यह आरोप लगाते हुए कि खरीद आदेश के नियमों और शर्तो के उल्लंघन में कुछ रकम रोक दी गई थी, अपीलकर्ता ने कथित तौर पर विशेष शर्तो के नए अनुच्छेद 26 के सन्दर्भ में मध्यस्थता समझौते को लागू किया

और एक स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए तीन नामों का सुझाव दिया और कहा। उत्तरदाता को तीन नामों में से एक का नाम बताना होगा।

प्रतिवादी ने यह रूख अपनाया कि केवल प्रतिवादी का प्रबन्ध निदेशक ही अनुच्छेद 26 के अनुसार नामित मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जा सकता हैं। मानक शर्तो का उल्लंघन किया और एकमात्र स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने से इंकार कर दिया। मध्यस्थता अनुरोध 29/99 द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए केरल उच्च न्यायालय का रूख किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर मध्यस्थता अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि खरीद आदेश के नियम और शर्ते प्रतिवादी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करती हैं। भारत के संविधान, 1950(संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय ने 2003 के सीए नंबर 3777, 4168 और 4169 में माना कि आदेश मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 के तहत पारित किया गया था।, 1996(संक्षेप में 'अधिनियम') एक न्यायिक आदेश हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उक्त आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं, इसलिए यह अपील दायर की गई हैं।

4. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मानक शर्तो के अनुच्छेद 26 में निहित प्रावधान मध्यस्थता के लिए वास्तविक प्रावधान नहीं हैं। यह क्रमशः खरीद आदेश और कार्य आदेश से जुडे विशेष नियमों और शर्तो में निहित हैं। खरीद आदेश और कार्य आदेश में विशेष शर्ते, मानक नियम और शर्ते शामिल थी। खरीद के विशेष नियमों और शर्तो के अनुच्छेद 16 द्वारा, मानक शर्तो के अनुच्छेद 25 में संशोधन किया गया हैं। अनुच्छेद 26 में भी एेसा ही संशोधन हैं, जहां तक यह मानक शर्तो की कमीशनिंग से संबंधित हैं, अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा

प्रस्तुत किया गया कि दोनों मामलो में मानक शर्तो में निहित प्रावधान मध्यस्थता के लिए वास्तविक प्रावधान नहीं हैं। सामान्य शर्त में कहा गया हैं कि सभी विवादों और मतभेदों को प्रतिवादी-कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को उनके निर्णय के लिए भेजा जाना आवश्यक हैं और यह पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। आगे यह तर्क दिया गया कि विशेष शर्तो में निहित प्रावधानों में मध्यस्थता के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। इसमें एेसा कोई खण्ड़ नहीं हैं कि विवादों और मतभेदों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा। दोनों मामलो में, विशेष शर्ते विशेष रूप से बताती हैं कि यह केवल सामान्य स्थिति में संशोधन के माध्यम से हैं और उस प्रावधान का अतिक्रमण नहीं हैं। प्रतिवादी-कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता हैं। यह मूलतः वह रूख था, जिसे स्वीकृति नहीं मिली। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया हैं कि प्रतिवादी द्वारा कुछ बदलावों का सुझाव दिया गया था।

5. दूसरी और, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अपरिहार्य हैं।

6. इस समय कुछ शर्तो पर ध्यान देना आवश्यक होगाः

कार्य आदेश का खण्ड़ 16 इस प्रकार हैंः-

"16. कार्य आदेश की शर्तेः

आदेश उपरोक्त शर्तो के साथ-साथ इस कार्य आदेश के अनुलग्नक I, II और III में निर्धारित शर्तो द्वारा शासित होगा, निम्नलिखित को छोड़करः

यह आदेश निम्नलिखित को छोड़कर, कार्य की वर्तमान विशेष

परिस्थितियों(डब्ल्यू औ अनुलग्नक III) के साथ-साथ इस कार्य आदेश के अनुलग्नक I और II में निर्धारित शर्तो द्वारा शासित होगा:

विशेष, क्रमांक 3020/सीएस/04: परिनिर्माण और कमीशनिंग के मानक नियम और शर्ते। अनु० 4.0.0 कर, शुल्क और लेवी(टिप्पणी) कर अनुच्छेद 4.0.0 के अनुसार होगें। हालांकि, वर्तमान परिस्थितयों में; इस कार्य आदेश पर कर लागू नहीं हैं,

अनु० 13.0.0 समाप्ति(टिप्पणी) उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश को समाप्त कर सकता हैं, बशर्ते कि समाप्ति के लिए उचित लागत और वास्तविक आउट-आॅफ-पाॅकेट व्यय की पुर्नभरण की जाएगी।

अनु० 15.0.0 परिवर्तन(संशोधन) उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर संशोधन आदेश जारी करेगा, जो कार्य आदेश के तहत उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर द्वारा आवश्यक कार्य के दायरे में बदलाव और कीमत और वितरण/पूर्णता समय, यदि कोई हो, में न्यायसंगत समायोजन प्रदान करेगा।

अनु० 21.0.0 समापन और अधिग्रहण पर परीक्षण(नया लेख जोड़ा गया)।

अनु० 21.5.0(नया लेख) इस कार्य आदेश के दायरे के तहत प्राथमिक सुधारक पैकेज को संतोषजनक प्री-कमीशन समाप्त होने के तुरन्त बाद उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर द्वारा लिया गया माना जाएगा, प्री-कमीशन के बाद कमीशनिंग शुरू करने के लिए मालिक को

ठेकेदार के नोटिस के 10 दिनो के भीतर। कमीशनिंग, जो भी पहले हो। यदि ठेकेदार की कोई गलती नहीं होने के कारण अधिग्रहण में देरी हो रही हैं, तो ठेकेदार द्वारा इस संबंध में समापन के बारे में दिए गए नोटिस के बाद, संपूर्ण प्राथमिक सुधारक पैकेज को उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर द्वारा लिया गया माना जाएगा।

अनु० 24.0.0 क्षतिपूर्ति माध्यमिक दायित्व जैसे संयंत्र के रूकने से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को कार्य आदेश के तहत ठेकेदार की देनदारियों से बाहर रखा जाएगा।

अनु० 26.0.0 लागू कानून और विवादों का निपटान(संशोधन) भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधान और उसके तहत नियम, कोई भी वैधानिक, फिलहाल लागू होने वाले संशोधन लागू होगें।

मध्यस्थता का स्थान कोचीन होगा, और कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी भाषा होगी।

मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्ष कार्य आदेश के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगें।''

7. शर्त का जोड था, प्रतिस्थापन नहीं। संशोधन के बिना मध्यस्थता खण्ड़ था और यदि कोई संशोधन नहीं था तो एकमात्र प्रतिस्थापन था, फिर कोई मध्यस्थता खण्ड़ नहीं था। तथ्यों के विवरण में मध्यस्थता अनुरोध में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। कि खरीद के मानक नियमों और शर्तो का अनुच्छेद 26 कार्य आदेश का हिस्सा हैं। वहीं इस प्रकार पढ़ेः

"अनुच्छेद 26 - कार्य आदेश सभी प्रकार से भारतीय कानून के अधीन होगा और शासित होगा। कार्य आदेश से जुड़ा या उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद जिसे पार्टियों के आपसी समझौते से नहीं सुलझाया जा सकता हैं, उसे अध्यक्ष और उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर के प्रबन्ध निदेशक, और उनका निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस कार्य आदेश से संबंधित कोई भी कानूनी कार्यवाही भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत कानून की अदालतों तक सीमित होगी।"

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह रूख कि कार्य आदेश की विशेष शर्तो ने मानक नियमों और शर्तो को प्रतिस्थापित कर दिया हैं, सही नहीं हैं। केवल यह तथ्य कि मध्यस्थ का नाम दिया गया था, मध्यस्थता की कार्यवाही को अमान्य नहीं करता हैं।

9. शासन सचिव, परिवहन विभाग, मद्रास बनाम मुनुस्वामी मुदलियार और अन्य (1988 सप्ली० एससीसी 651) इसे इस प्रकार नोट किया गयाः

"7. इसके अनुसरण में संबंधित समय पर उस सर्कल के अधीक्षण अभियन्ता को पहले मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था। उस कार्यालय का उत्तराधिकार एक अन्य पदाधिकारी द्वारा किया गया था और सफल अधीक्षण अभियन्ता मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखना चाहते थे, लेकिन इससे पहले एक आवेदन किया गया था, सिटी सिविल कोर्ट, मद्रास के विद्वान न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थ को हटाने के लिए मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (इसके बाद इसे

'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 5 के तहत बनाया गया।''

10. पुनः पैरा 11 से 13 में इसे इस प्रकार नोट किया गयाः

"11. यह धारा 5 के तहत नामित मध्यस्थ को हटाने का मामला हैं, अधिनियम जो न्यायालय को मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र देता हैं। जब पार्टियों ने अनुबंध में प्रवेश किया, तो पार्टियों को मध्यस्थता खण्ड़ सहित अनुबंध की शर्तो का पता था। पार्टियों को योजना और तथ्य पता था कि मुख्य अभियन्ता बेहतर हैं और अधीक्षण अभियन्ता विशेष सर्कल के मुख्य अभियन्ता के अधीनस्थ हैं। इसके बावजूद दोनों पक्ष सहमत हुए और मध्यस्थता में प्रवेश किया और शुरूआत में वास्तव में उस समय के अधीक्षण अभियन्ता के अधिकार क्षेत्र में चले गए, जो, हालांकि मध्यस्थता को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि उनका स्थानान्तरण हो गया था और उत्तराधिकारी द्वारा कार्यभार संभाला गया था। उन परिस्थितियों में बताए गए तथ्यो पर किसी भी पूर्वाग्रह को उचित रूप से नहीं पकड़ा जा सकता हैं और नामित मध्यस्थ को हटाने का आधार नहीं बनाया जा सकता हैं। हमारी राय में एेसा एक अच्छा या वैध कानूनी आधार बिल्कुल नहीं हो सकता, जब तक नामित मध्यस्थ के खिलाफ उसकी ईमानदारी या क्षमता या दुर्भावना या विषय वस्तु में रूचि या पूर्वाग्रह की उचित आशंका के खिलाफ आरोप न हो, एक नामित और सहमत मध्यस्थ को न्यायालय में निहित विवेक के प्रयोग से अन्तर्गत अधिनियम की धारा 5 हटाया नहीं जा सकता हैं और न ही हटाया जाना चाहिए।

12. एक उचित व्यक्ति के मन में पूर्वाग्रह की उचित आशंका मध्यस्थ को हटाने का आधार हो सकती हैं। विवाद के वास्तविक गुणों पर उचित विचार किए बिना, किसी एक पक्ष के पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेने की प्रवृत्ति पूर्वाग्रह हैं। उस प्रवृत्ति की उचित आशंका होनी चाहिए। उचित आशंका ठोस सामग्रियों पर आधारित होनी चाहिए। मस्टिल और बाॅयड की टिप्पणियां देखें, वाणिज्यिक मध्यस्थता, 1982 संस्करण, पृष्ठ 214. हैल्सबरीज लाॅज आॅफ इंग्लैंण्ड, चौथा संस्करण, खण्ड 2, पैरा 551, पृष्ठ 282 वर्णन करता हैं कि पूर्वाग्रह के लिए परीक्षण यह हैं कि क्या एक उचित बुद्धिमान व्यक्ति, जो सभी परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हैं, पूर्वाग्रह की गंभीर आशंका महसूस करेगा।

13. यह न्यायालय भारतीय अन्तराष्ट्रीय प्राधिकरण बनाम केडी बाली में (1988(2) एससीसी 360) ने माना कि इस बात को संतुष्ट करने के लिए उचित सबूत होने चाहिए कि पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना थी। सनकी, मनमौजी और अनुचित लोगो के अस्पष्ट सन्देह काे सामान्य मानव आचरण की विनियमित करने के लिए मानक नहीं बनाया जाना चाहिए। इस देश में सरकार के साथ कई अनुबंधो में अधीक्षण अभियन्ता या सरकार के किसी अधिकारी को मध्यस्थ बनाने की आवश्यकता होती हैं। यह नहीं कहा जा सकता हैं कि अधीक्षण अभियन्ता को मध्यस्थता का काम नहीं सौंपा जा सकता हैं और बिना किसी ठोस आधार के ठेकेदार के मन में एक आशंका, हटाने का औचित्य होगी। विद्वान न्यायाधीश के समक्ष दलीलों या विद्वान न्यायाधीश के निर्णय में कथित आशंका के लिए कोई अन्य

आधार नहीं दर्शाया गया था। हमारी राय में, वहां था मध्यस्थ को हटाने का कोई आधार नहीं, किसी आधार की कल्पना मात्र चुने गए मध्यस्थ के मन में पूर्वाग्रह की आशंका का बहाना नहीं हो सकता हैं।"

11. यह आशंका कि नामित मध्यस्थ निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकता हैं, बिना किसी आधार के हैं। उच्च न्यायालय ने सही माना हैं कि खरीद के विशेष नियमों और शर्तो के अनुच्छेद 16 द्वारा अनुच्छेद 25 में एक संशोधन किया गया था, जो इस प्रकार हैं-

''भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधान और उसके तहत नियम, उस समय लागू होने वाले किसी भी वैधानिक संशोधन को लागू किया जाएगा। मध्यस्थता का स्थान कोचीन होगा, और कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी भाषा होगी, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्ष खरीद आदेश के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगें।''

12. शब्द क्रम से जुड़े कार्य की विशेष शर्तो के अनुच्छेद 16 में परिनिर्माण और कमीशनिंग के लिए मानक नियमों और शर्तो के अनुच्छेद 26 में संशोधन समान था। विशेष स्थितियां स्वयं दर्शाती हैं कि अनुच्छेद 25 और 26 में मध्यस्थता के प्रावधान हैं। विशेष शर्तो में शामिल संशोधन केवल यह प्रदान करते हैं कि संबंधित मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और उस समय लागू होने वाले किसी भी मध्यस्थता का स्थान और कार्यवाही की भाषा में वैधानिक संशोधन लागू होगें।

13. अपीलें बिना योग्यता के हैं, खारिज करने योग्य हैं, जिसका हम निर्देश देते हैं।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार औझा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।